राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.६(६६)परि / टैक्स / एच क्यू. / 07 / 1–ओ जयपुर, दिनांक :27.08.09

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं011) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की (समय-समय पर यथा-संशोधित) अधिसूचना सं० एफ.6 (179)परि / टैक्स / एच क्यू / 95 / 1 एल, दिनांक 27—3—2006 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारिणी में,-

- विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-
 - "3. कृषि ट्रेक्टर/कम्बाइन हार्वेस्टर यान की लागत का 0.3% "
- (2) विद्यमान क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ संख्या 2 में, अभिव्यक्ति "संनिर्माण उपस्कर यान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कम्बाइन हार्वेस्टर से भिन्न संनिर्माण उपस्कर यान" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

जयपूर, दिनाकः 27.08:09

क्रमांकः एफ.६(६६)परि / टैक्स / एच.क्यू. / ०७ / १—ओ

प्रतिलिपि:- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अकं दिनांक 27.08.09 को प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अकं की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।

3. निजी सचिव, यातायात मंत्री जी।

4. निजी सचिव, प्रगुख शासन सचिव (यातायात)।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव।

7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।

महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।

10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।.

11. श्री संजय सिंधल, प्रोग्रामर के विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।

12. समस्त प्रादेशिक / अतिरिक्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।

13. सतस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र राजस्थान।

o agon शासन्बरुप सचिव(म्म.)

परिवहन विभाग राज जयपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN TRANSPORT DEPARTMENT

NO.F6 (66) Pari/Tax/HQ/07/1-O

Jaipur, Dated:-27.08.2009

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Rajasthan Act. No.11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendment in this department's Notification No. F 6 (179) Pari/Tax/Hqrs/ 95/1L, dated 27.03.2006 (as amended from time to time), with immediate effect, namely:-

Amendment

In the table of the said notification, -

- (1) the existing serial number 3 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-
 - "3. Agriculture Tractor/Combine Harvester 0.3% of the cost of the vehicle."
- (2) in column number 2 against the existing serial number 6, for the expression "Construction Equipment Vehicle", the expression "Construction Equipment Vehicle other than Combine Harvester" shall be substituted.

By Order of the Governor

(Manoj Kumar Sharma) Dy. Sec. to Government Jaipur, Dated a 27.08.2009

NO.F6 (66) Pari/Tax/HQ/07/1-O

Copy forwarded to the follwing for information and necessary action:-

- The Director, Government Central Press, Jaipur. The notification may kindly by published in the extra-ordinary Gazette dated 27-08-2009 and a copy thereof may be sent to this department.
- 2. Private Secretary to the Principal Secretary, Chief Minister-Rajasthan, Jaipur.
- 3. Private Secretary to the Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
- 4. Private Secretary to the Principal Secretary (Transport), Rajasthan Jaipur.
- 5. Private Secretary to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
- 6. Private Secretary to Transport Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
- 7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
- 8. Managing Director, RSRTC, Jaipur.
- 9. Law (Codification), Department, Jaipur.
- 10. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
- 11. Shri Sanjay Singhal for updation departmental webasite.
- 12. All Regional/ Additional Regional/ Districl Transport officers.
- 13. All Incharge Tax Collection Centers of Transport Departmnet.

Deputy Secretary to Government

परिवहन विभाग राज जयमुर